



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-827/MFIN/51/2023-SSW

दिनांक: 06/04/2023

श्री अतुल कुमार गोयल
प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
पंजाब नेशनल बैंक,
प्लॉट नं.-4, सेक्टर-10, द्वारका,
नई दिल्ली -110075
Email:md@pnb.co.in
(Ph:28044001)

विषय: अनुसूचित जनजाति की महिला कर्मचारी का चिकित्सा के कारण स्थानान्तरण करने के संबंध में - वंशिता सिंह, प्यून, पंजाब नेशनल बैंक, फर्रूखाबाद (उ.प्र.)

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को वंशिता सिंह से दिनांक 03/03/2023 में एक ऑन लाईन याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. Vanshita Singh,
Punjab National Bank, Lal Gate,
Thandi Sada, Farrukhabad-209625
(Uttar Pradesh)
(Mobile No:7618520464)
(santoshkumar35789@gmail.com)

✓ NIC, NCST (please upload on the website)